National Journal of Multidisciplinary Research and Development
ISSN: 2455-9040; Impact Factor: RJIF 5.22
www.nationaljournals.com
Volume 2; Issue 2; May 2017; Page No. 236-237

कौटिल्य, कालिदास एवं अन्य ग्रंथो में अपराधशास्त्र

डॉ. दयाशंकर तिवारी

एसोसिएट प्रोफेशर, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद पी.जी. कालेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

राजा अतिथि न्याय कार्य में सक्रिय रहते हैं। आभिज्ञानशाकुन्तल में नीर–क्षीर विवेक अर्थात् न्याय एवं अन्याय के मध्य अन्तर करते हुए निर्णय देने वाले राजा दुष्यन्त का उल्लेख मिलता है। मालविकाग्निमित्र नामक ग्रन्थ में राजा अग्निमित्र द्वारा विवादों के निर्णय का वर्णन मिलता है। विशाखदत्त ने भी न्यायपरायण राजाओं का उल्लेख किया है जो न्याय और अन्याय के मध्य भेउद करते हुए (लोकस्य परीक्षकाः) निर्णय देते हैं।

राजा न्याय की रक्षा के लिए अपराधियों को दण्ड देता है। दण्ड राज्य में न्याय की स्थापना का एक साधन है। वेदों में दण्ड शब्द का उल्लेख मिलता है लेकिन उसका स्पष्टरूप न्यायिक प्रशासन के रूप में व्यक्त नहीं होता है। धर्मसूत्रों में अपराधियों को दण्ड देना राजा का पवित्र कर्तव्य माना गया है। अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख मिलता है कि लोकयात्रा की व्यवस्था के लिए राजा को युद्धतदण्डाः होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार दण्ड वह साधन है जिसके द्वारा आन्वीक्षिकी, त्रयी एवं वार्ता का स्थायित्व एवं संरक्षण होता है। कालिदास ने रघुवंश में अपराधियों को दण्ड देना राजा का धर्म माना है–

स्थित्यै दण्डयतो दण्डयान्यपरिणेतुः प्रसूतये। आभिज्ञानशाकुन्तल में उल्ल्ेख मिलता है कि दण्ड के द्वारा ही राजा प्रजा को धर्ममार्ग की ओर प्रेरित करता है। विक्रमोवर्शीय नामक ग्रन्थ में विदुषक राजा को दण्ड देने के लिए प्रेरित करता है–अपराधीशासनीयः। विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस में राजा के दण्ड सम्बन्धी कार्यों का उल्लेख किया है–तीक्षणदण्डो।

दण्ड किस अनुपात में दिया जाना चाहिए इस दृष्टि में धर्मसूत्रों में उचित दण्ड पर अधिक बल दिया गया है। दण्ड के समय देश–काल, अवस्था विद्या के साथ व्यक्ति की मनः स्थिति का ध्यान दिया जाता है– दण्डस्तु देशकाल धर्मवयोविद्यास्थान विशेषेहिसाक्रोशयोः कल्पयः। कौटिल्य का मत है कि जो राजा अपराधियों को अपराध के अनुसार दण्ड देता है उसे लोग आदर देते हैं–यथार्हदण्डः पूज्यः। कौटिल्य के पूर्व तीक्ष्ण और मृदु दण्ड की परम्परा चल रही थी, उन्होंने दोनों में समन्वय की स्थापना की।

मनुस्मृति में कहा गया है कि देश–काल, शक्ति एवं विद्या को भलीभाँति दृष्टि में रखकर जितना आवश्यक हो उतना दण्ड दिया जाना चाहिए। कालिदास ने भी रघुवंश में इस बात उल्लेख किया है कि अपराधियों को दण्ड उनके अपराध के अनुपात में–यथापराधदण्डानां दिया जाना चाहिए। राजा रघु अपराधियों को आवश्यकता से अधिक कठोर या कोमल दण्ड नहीं देते हैं, अपितु अपराध की गुरूता के अनुरूप दण्ड देते हैं। राजा अंजदण्ड के क्षेत्र में मध्यम मार्ग का अनुकरण करते हैं। विशाखदत्त ने भी दण्ड के क्षेत्र में मध्यम मार्ग को उचित माना है मुद्राराक्षण में उल्लेख मिलता है कि– राजक्ष्मी उग्र स्वभाव वाले राजाओं से उव्दिग्न हो जाती है तथा मृदु स्वभाव वालों के पास अपमानित होने के भय से नहीं जाती हैं– तीक्ष्णादुदिव्जते मृदौ परिभवत्रासान्न, अर्थात् राजा को न तो अधिक कठोर और न ही अधिक उदार होना चाहिए।

अपराधियों द्वारा अपराध करने पर विभिन्न प्रकार के दण्ड दिए जाते हैं जैसे शारीरिक दण्ड, अर्थदण्ड में मृत्यु दण्ड। अर्थ दण्ड एवं मृत्यु दण्ड का विचार अर्थशास्त्र से प्रभावित है क्योंकि ब्राह्मण ग्रन्थों में ब्राह्मणों के लिए मृत्यु दण्ड का निषेध किया गया है। प्रारमिभक वैदिककाल में वाग्दण्ड एव धिग्दण्ड का प्रयोग अधिक होता था। अधिकतम अपराधों के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया। अर्थशास्त्र में राज्यहित को सर्वोपरि माना गया है अतः राजद्रोह करने पर ब्राह्मणों के लिए भी मृत्यु दण्ड का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने कामुक, अन्तःपुर–दूषक, राजा के विरोध में जंगली जातियों एवं शत्रुओं को प्रोत्साहित करने वाले ब्राह्मणों के लिए मृत्यु दण्ड का उल्लेख किया है। कौटिल्य का मत है कि यादि किसी अपराधी ने किसी पवित्र स्थान में पहली बार चोरी की है तो उसकी तर्जनी एवं अँगूठा काट लेना चाहिए, (शारीरिक दण्ड) या उस व्यक्ति पर 54 पण दण्ड लगाना चाहिए, दूसरी बार भी यदि वह चोरी करता है तो उसकी समस्त अँगुलियाँ काट लेना चाहिए या 100 (सौ) पण अर्थ दण्ड लगाना चाहिए, यदि वह व्यक्ति तीसरी बार अपराध करता है तो उसका दाहिना हाथ काट लिया जाना चाहिए या 400 पण अर्थ दण्ड लगाना चाहिए और चौथी बार यदि वह अपराध करता है तो उस व्यक्ति को मृत्यु दण्ड देना चाहिए। मनुस्मृति में सोना, चाँदी एवं बहुमूल्य रत्नों की चोरी करने वाले व्यक्तियों के लिए मृत्यु दण्ड का उल्लेख मिलता है। याज्ञवल्क्यस्मृति में कहा गया है कि खेत, घर, जंगल और गाँव को जलाने वाले व्यक्तियों को अग्नि में डाल देना चाहिए। कालिदास की रचनाओं में विभिन्न प्रकार के दण्डों का वर्णन मिलता है। आभिज्ञानशाकुन्तल नामक ग्रन्थ में बहुमूल्य रत्नों की चोरी करने वालों के लिए मृत्यु दण्ड का विधान मिलता है। धीवर पर राजकीय रत्न की चोरी का ओराप लगाया जाता है, जिसके कारण उसको विभिन्न प्रकार से मृत्यु (वधार्थ) दण्ड का भय दिखाया जाता है। विक्रमोवर्शीय नामक ग्रन्थ में राजा कहता है अपनी मृत्यु स्वयं बुलाने वाला चोर पक्ष की कहाँ है? रघुवंश में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसको भी मृत्यु दण्ड मिलता है। बाण से विधे हुए मुनिपुत्र को उसके माता–पिता के पास ले जाकर राजा दशरथ कहते हैं– ''मैं तो इसी के योग्य हूँ कि आप मेरा बध करें।'' इसी प्रकार रघुवंश में वर्ण व्यवस्था का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के लिए भी मृत्यु दण्ड का उल्लेख मिलता है। वर्णाश्रम के नियमों का उल्लंघन करने के कारण शाम्बूक को मृत्यु दण्ड दिया जाता है। विशाखदत्त के मुद्राराक्षस में विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए दिए जाने वाले शारीरिक, आर्थिक एवं मृत्यु दण्ड का उल्लेख मिलता है, ''महाराज मेरे घर में कुटुम्ब के पालन–पोषण के लिए पर्याप्त धन है उसको लेकर मेरे मित्र चन्दनदास को मुक्त कर दिया जाय'' – कुटुम्बभरणयर्य्याप्तोऽर्थः।

सन्दर्भ

1. रघु0 17:39
2. शाकु0 6:28, 5:8 प्रशमयसि विवादं
3. मालवि0 अंक 1 पृ0 191
4. एमुद्रा0 5:20
5. डॉ हरिहरनाथ त्रिपाठी
6. शापथ्ब्रहमन
7. गौतम 12:48] आपस्तम्ब 11:10:6
8. पन्त ए डी भाग 6